फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कृष्णादेवी
किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री सत्यनारायणपुरी
पत्रावली संख्या : 169/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार स्वर्गीय शिवपुरी जी गुसाईं प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार थे जिनके पक्षकारान पुत्र, पुत्रिया एवं पत्नी होकर प्रथम श्रेणी के वारिसान है। भूमि शिवपुरी जी की मृत्यु उपरान्त सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान में निहित होनी चाहिए थी जो नही कर गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम कर दी गई जो अवैध होकर प्रार्थीगण के हिस्सा के मुकाबले शुन्य एवं बेअसर हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में गलत अंकन होने से व प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित होने से प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूल वाद में घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं अन्य विन्दु मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किये जायेंगे। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के विन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार क्षैत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2068–71 की खाता संख्या नया 1581 की आराजी 341 शा.न. 342, 348, 349, 350, 351, 343 शा.न. 344, 347, 384, 385 शा.न. 416/2, 388/2 शा.न. 387, 416/3 शा.न. 385 [illegible] भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षी[illegible]वाद के निस्तारण होने तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थि[illegible] होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 15:58:52 IST
Reason: SelfAttested